कार्यालयः–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खंडवा, जिला पूर्व निमाड़ (म.प्र.)

जा.क्रं./............./2026 खण्डवा, दिनांक– 23.03.2026

–: आदेश :–

इस आदेश द्वारा **माह अप्रैल–2026** के समस्त सार्वजनिक अवकाश दिवसों में रिमांड एवं आवश्यक आपराधिक (न्यायिक) कार्य सम्पन्न किये जाने हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण को खंडवा/हरसूद/पुनासा में उनके नाम के सम्मुख दर्शित तिथियों के लिये अधिकृत किया जाता है।

निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण निम्न दर्शित तिथियों को **दोपहर 03:00 से 05:00 बजे** तक रिमांड एवं अत्यावश्यक आपराधिक (न्यायिक) कार्य सम्पन्न करेंगे :–

क्रमांक	नाम व पदनाम	अवकाश दिनांक
	जिला स्थापना खंडवा माह अप्रैल–2026	
1.	सुश्री अपेक्षा पाटीदार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खंडवा	03.04.2026
2.	श्रीमती रचना अतुलकर जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खंडवा	04.04.2026
3.	श्री भरतदीप चौरसिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खंडवा	05.04.2026
4.	श्रीमती वैशाली चौरसिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खंडवा	12.04.2026
5.	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खंडवा	14.04.2026
6.	श्री राकेश भिड़े न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खंडवा	19.04.2026
7.	श्रीमती पल्लवी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खंडवा	26.04.2026
	तहसील स्थापना हरसूद	
8.	श्री सिद्धार्थ कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरसूद	माह अप्रैल के समस्त सार्वजनिक अवकाश
	तहसील स्थापना पुनासा/श्रृखंला न्यायालय मांधाता (ओंकारेश्वर)	
9.	श्री मेहताब सिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पुनासा	माह अप्रैल के समस्त सार्वजनिक अवकाश

नोटः—

1. **माह अप्रैल—2026** में उक्त सार्वजनिक अवकाश के अतिरिक्त किसी कारणवश कोई अवकाश दिवस घोषित होता है तो उक्त दिनांक को जिला मुख्यालय, खंडवा पर **श्रीमती रचना अतुलकर जोशी, न्या.मजि.प्र.श्रेणी खंडवा** के द्वारा, तहसील स्थापना हरसूद में **श्री सिद्धार्थ कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरसूद जिला खंडवा** एवं तहसील पुनासा/मांधाता में **श्री मेहताब सिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पुनासा जिला खंडवा** के अवकाश पर जाने या अन्य कारण से मुख्यालय पुनासा में उपस्थित न होने पर जिला मुख्यालय पर रिमांड ड्यूटी कर रहे मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा।

3. **श्री मेहताब सिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पुनासा जिला खंडवा के श्रृंखला न्यायालय मांधाता प्रवास पर रहने के दौरान उक्त अवधि में सार्वजनिक अवकाश में प्रस्तुत किए जाने वाले रिमांड तहसील न्यायालय पुनासा में प्रस्तुत किए जावेंगे तथा उनके अवकाश पर रहने के दौरान उक्त अवधि में रिमांड** जिला मुख्यालय पर रिमांड ड्यूटी कर रहे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जावेंगे।

4. **रिमांड ड्यूटी में धारा 183 भा.ना.सु.सं, 2023/164 दं.प्र.सं. के कथन भी न्यायिक अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे तथा 60 दिवस एवं 90 दिवस की अवधि पूर्ण होने वाले अभियोग पत्र भी रिमांड ड्यूटी में उपस्थित न्यायिक अधिकारी द्वारा लिए जावेंगे।**

5. उक्त दिनांक को संबंधित न्यायालय के कर्मचारीगण भी अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहेंगे।

6. यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट उक्त दर्शित तिथियों को आवश्यक रिमांड ड्यूटी सम्पन्न करने में असमर्थ रहते हैं, तो वे अपने साथी न्यायिक मजिस्ट्रेट से उक्त दर्शित तिथि को रिमांड ड्यूटी सम्पादन करने हेतु लिखित सहमति प्राप्त कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खंडवा को सूचित करेंगे। लिखित सहमति देने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का यह दायित्व रहेगा कि वह लिखित सहमति अनुसार समायोजन कर नियत दिनांक को रिमांड ड्यूटी सम्पन्न करेंगे।

7. रिमांड ड्यूटी के दौरान प्रस्तुत किये जाने वाले अभियुक्तों के अधिवक्ता के संबंध में तत्काल जानकारी ली जावेगी एवं जिन अभियुक्तों को विधिक सहायता की आवश्यकता है, वह तत्काल उपलब्ध कराई जावेगी।

8. आकस्मिकता की स्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के मौखिक आदेश से रिमांड डयूटी का कार्य संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जा सकेगा।

Approved
23/3/26
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पूर्व निमाड़, खंडवा (म.प्र.)

(ठाकुर प्रसाद मालवीय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला—खंडवा म.प्र.